जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
42/2016

तारीख हुक्म	फर्द अहकाम

13

धारा 6ए प्रकरण सं0 42/2016 स्टेट बनाम 1–रमेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ 2–राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.12.2016

1– **अप्रार्थीगण** रमेशकुमार व राजेन्द्रकुमार के अभिभाषक श्री आनंद व्यास उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सन्दीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। बहस पूर्व में दिनांक 29.11.2016 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 03.05.2015 को पुलिस चौकी गणेशगढ पर बचनसिंह मीणा सी.ओ. ग्रामीण श्रीगंगानगर द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 की जांच करने पर वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम तथा 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक कैनियों में डीजल भरा होना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा निदेशित किये जाने पर दिनांक 03.05.2015 को प्रवर्तन स्टाफ मौके पर पहुंचे तो पुलिस चौकी परिसर में उक्त वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 खड़ा था और मौके पर ही वाहन चालक रमेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश उपस्थित था जिसकी उपस्थिति में वाहन की जांच की गई तो वाहन चालक रमेशकुमार ने वाहन अपने भाई राजेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ के नाम होना बताया तथा प्रभारी पुलिस चौकी गणेशगढ की निशानदेही पर वाहन की जांच की गई तो मौके पर वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक केनियों में डीजल भरा होना पाया गया। ड्रम व प्लास्टिक केनियों को खोलकर देखने, सूघंने तथा उपस्थित गवाहो ने डीजल होना स्वीकार किया। भौतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल तथा प्रत्येक प्लास्टिक कैनी में 50 लीटर डीजल होना पाया। इस प्रकार कुल 1500 लीटर डीजल पाया गया। राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर निर्धारित कर रखी है और मौके पर वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 में 1500 लीटर डीजल पाये जाने पर उक्त डीजल को परिवहन व उक्त वाहन में अपने कब्जे में रखने का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसेंस/परमिट आदि प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए मौके पर ही 1500लीटर डीजल मय ड्रम एवं केनियों तथा वाहन को जरिये फर्द जब्ती राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 22 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत जब्त किया जाकर श्री सत्यनारायण एफ.सी. प्रभारी पुलिस चौकी गणेशगढ पुलिस थाना लालगढ जाटान की सुपुर्दगी में दिया गया और धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जब्त शुदा डीजल एवं वाहन राजसात करने की प्रार्थना की गयी जिस पर दोनो पक्षो की सुनवाई कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2015 के आदेश से 1500 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक डम्र, 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक केनिया व वाहन टाटा ए संख्या आरजे 13जीबी 1750 को राजसात करने के आदेश दिये गये और वाहन राजसात की एवज में 2,50,000रूपये जुर्माना लगाया गया।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

42/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

A3

इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध अप्रार्थीगण राजेन्द्रकुमार–रमेशकुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ग के अन्तर्गत दाण्डिक अपील सं0 293/2015 अनवानी राजेन्द्रकुमार आदि बनाम राज0 राज्य आदि सेशन न्यायाधीश महोदय (अधिकृत अपील प्राधिकारी) श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 18.04.2016 से अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का आदेश 14.10.2015 निरस्त किया गया और मामला इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के सम्माननीय न्याय दृष्टान्त हेमराज बनाम राज0 राज्य व अन्य एस.बी.क्रिमी. रिवीजन पेटी. न0 623/2015 में प्रकट किये गए अभिमत की रोशनी में विधिनुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

मामला रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दिनांक 25.04.2016 को प्रकरण सं0 42/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया गया व इस तारीख पर अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार का प्र0 पत्र बाबत प्रकरण पेशी में लेकर सुनवाई करने का शामिल किया गया व जिला रसद अधिकारी एवं अप्रार्थी रमेश कुमार को सुनवाई के लिए सूचित करने के आदेश दिये गये।

उभयपक्ष की बहस दिनांक 29.11.2016 को सुनी गई।

3– **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थीगण रमेशकुमार व राजेन्द्र कुमार दोनो सगे भाई है और पेशे से कृषक है तथा अपने कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार द्वारा वाहन टाटा ऐस न0 आरजे 13 जीबी 1750 खरीद कर रखी है और अपने कृषि कार्य हेतु डीजल की आवश्यकता होने पर पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण खरीद कर लाते रहते है और दिनांक 03.05.2015 को भी दोनो भाई अप्रार्थीगण उक्त वाहन में एक साथ बैठकर 1500 लीटर डीजल लाये थे जिसे पुलिस चौकी गणेशगढ से श्री बचनसिंह मीणा द्वारा अनाधिकृत रूप से रोका गया था इस बाबत रोजनामचा में इन्द्राज भी किया गया था बाद में प्रवर्तन अधिकारी को बुलाकर उनके विरूद्ध गलत रूप से कार्यवाही की गई है जबकि बचनसिंह को बिल भी प्रस्तुत कर दिये गये थे। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

4– उनका आगे यह कथन था कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर का न्याय दृष्टान्त एस.बी.क्रिमी. रिवीजन पेटी. न0 623/2015 शीर्षक हेमराज बनाम राज राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 02.02.2016) जो कि 2015(2) आरएलडब्ल्यू 1801 (राज.) जंगीरसिंह एवं अन्य बनाम राज0 राज्य पर आधारित है के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** जो कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है एवं राजस्थान सरकार द्वारा भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** का जारी किया गया है, के संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा यह माना है कि एक ही विषय पर राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा और साथ ही यह विनिश्चय पारित किया है कि वाहन में 1000लीटर से अधिक मात्रा में डीजल

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

42/2016

परिवहन कर ले जाने से यह नही माना जा सकता कि वाहन डीजल के भण्डारण हेतु उपयोग हुआ है। 1999 के उक्त आदेश के तहत कोई भी **CUSTOMER** 2500 लीटर तक डीजल रिटेल में क्रय कर सकता है जबकि उक्त दोनो अप्रार्थीगण के पास केवल 1500 लीटर डीजल ही क्रयशुदा था जो कि 1999 के केन्द्रीय आदेश के अनुसार निर्धारित मात्रा से कम था और उक्त केन्द्रीय आदेशो के कारण राज्य सरकार का 1990 का प्रभावहीन था और उक्त केन्द्रीय आदेशो के तहत प्रवर्तन अधिकारी को जब्ती की कार्यवाही करने का अधिकार नही था। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर उक्त जब्त शुदा डीजल एवं वाहन वापिस लौटाये जावें।

5– **इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था** कि दिनांक 03.05.2015 को पुलिस चौकी गणेशगढ पर बचनसिंह मीणा सी.ओ. ग्रामीण श्रीगंगानगर द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 की जांच करने पर वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम तथा 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक कैनियों में डीजल भरा होना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा निदेशित किये जाने पर दिनांक 03.05.2015 को प्रवर्तन स्टाफ मौके पर पहुंचे तो पुलिस चौकी परिसर में उक्त वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 खड़ा था और मौके पर ही वाहन चालक रमेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश उपस्थित था जिसकी उपस्थिति में वाहन की जांच की गई तो वाहन चालक रमेशकुमार ने वाहन अपने भाई राजेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी 12 एसजीआर तहसील सूरतगढ के नाम होना बताया तथा प्रभारी पुलिस चौकी गणेशगढ की निशानदेही पर वाहन की जांच की गई तो मौके पर वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम, 2प्लास्टिक केनियों में डीजल भरा होना पाया गया। ड्रम व प्लास्टिक केनियों को खोलकर देखने, सूघंने तथा उपस्थित गवाहो ने डीजल होना स्वीकार किया। भोतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल तथा प्रत्येक प्लास्टिक कैनी में 50 लीटर डीजल होना पाया। इस प्रकार कुल 1500 लीटर डीजल पाया गया। राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर निर्धारित कर रखी है और मौके पर वाहन टाटा एस आरजे 13 जीबी 1750 में 1500 लीटर डीजल पाये जाने पर उक्त डीजल को परिवहन व उक्त वाहन में अपने कब्जे में रखने का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसेंस/परमिट आदि प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए मौके पर ही 1500लीटर डीजल मय ड्रम एवं केनियों तथा वाहन को जरिये फर्द जब्ती राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 22 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत जब्त किया जाकर श्री सत्यनारायण एफ.सी. प्रभारी पुलिस चौकी गणेशगढ पुलिस थाना लालगढ जाटान की सुपुर्दगी में दिया गया।

6– **उनका आगे** कथन था कि अप्रार्थी रमेशकुमार द्वारा डीजल का अवैद्य परिवहन व क्षमता से अधिक भण्डारण तथा कब्जे में रखकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लॉज 15 का उल्लंघन किया है। इसलिए जब्त शुदा 1500लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक केनियां तथा वाहन टाटा एस न0 आरजे 13 जीबी 1750 को राजसात किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
42/2016

7– उनका यह भी कथन था कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 के अनुसार किसी भी समय वाहन की टंकी में उपलब्ध डीजल को सम्मिलित करके 1000 लीटर से अधिक डीजल एक समय में अपने कब्जे में नही रख सकता। वाहन जब्ती के समय **वाहन में अकेला रमेशकुमार ड्राईवर था** और **उसके अकेले कब्जे से ही उक्त 1500 लीटर डीजल जब्त किया गया है। यदि** डीजल के अलग–2 बिल अलग–2 व्यकियों के नाम से भी हो, तो भी अपराध में कोई फर्क नही पड़ता है। **उक्त अधिसूचना में परिवहन किए गए डीजल को एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजन कर उक्त सीमा से कोई छूट नही दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय व अथोरिटी किसी भी कानूनी प्रावधानो के विपरीत कोई आदेश/निर्देश नही दे सकते है। इसलिए जब्त शुदा डीजल को बिलो के आधार पर बंटवारा कर कोई आदेश नही दिया जा सकता जबकि इस मामले में ऐसे कोई बिल भी पेश नही किए गए है। अतः अप्रार्थी से जब्त शुदा वाहन एवं डीजल मय ड्रम, केनियों को राजसात किया जावे।**

8– उनका आगे कथन था कि चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है जबकि **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है। **उक्त तीनो आदेशो का उदेश्य और कार्यक्षेत्र अलग–2 है।** राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त 1990 के आदेश को **न तो राज्य सरकार** द्वारा रद किया गया है और न ही **केन्द्र सरकार** द्वारा रद किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के पैरा 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानूनी प्रावधानो के विपरीत कोई भी आदेश/निर्देश नही दे सकते है। चूंकि 1990 का उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है।** इसलिए माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी.क्रिमी. रिवीजन पेटी. न0 623/2015 शीर्षक हेमराज बनाम राज राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 02.02.2016) एवं 2016(1) क्रि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 **करमजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य** जो कि 2015(2) आरएलडबल्यू 1801 (राज.) जंगीरसिंह एवं अन्य बनाम राज0 राज्य पर आधारित है, का **अप्रार्थीगण लाभ लेने के हकदार नही ठहरते है।** माननीय राज0 उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायिक निर्णय एस.बी. क्रिमी. रिवीनज पेटी. न0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य **(आदेश दिनांक 06.12.2012) में पारित निर्णय के अनुसार** राज्य सरकार के उक्त **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत पारित आदेश अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को **विधिसम्मत** माना है। इसलिए अप्रार्थीगण **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआरएलआर (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के प्रकाश में व राज0 उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय** एस.बी. क्रिमी. रिवीनज पेटी. न0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य **(आदेश दिनांक 06.12.2012) के अनुसार भी कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नही ठहरते है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

 42/2016

9— **उनका** आगे यह भी कथन था कि माननीय **सैशन न्यायाधीश**, श्रीगंगानगर ने एक अपनी अन्य **अपील संख्या 14/2016** अरविन्द स्वामी—राजेन्द्रकुमार बनाम राज0 राज्य अन्तर्गत धारा 6(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम में अपने **निर्णय दिनांक 21.06.2016** द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी.क्रिमी. रिवीजन पेटी. न0 623/2015 शीर्षक हेमराज बनाम राज राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 02.02.2016) एवं 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 **करमजीतसिंह बनाम राजस्थान राज्य** जो कि 2015(2) आरएलडबल्यू 1801 (राज.) जंगीरसिंह एवं अन्य बनाम राज0 राज्य पर आधारित है, **का लाभ न देकर** जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा **धारा 6ए के अन्तर्गत एक अन्य प्रकरण सं0 62/2015 स्टेट बनाम अरविन्द स्वामी व राजेन्द्रकुमार** में राज0 सरकार के **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत पारित आदेश दिनांक **12.12.2015** के द्वारा डीजल व वाहन राजसात की कार्यवाही को माननीय **उच्चतम न्यायालय** के न्यायिक दृष्टान्त **2012 सीआरएलआर (एससी)** पेज 726 स्टेट आफ बिहार वगैरा बनाम अरविन्द कुमार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनू पूर्व न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 2010 (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल के अनुसार सही माना है।**

10— **उनका आगे** यह भी कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340** के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन सौंपा जा सकता है। अतः वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

11— **उनका यह भी कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में जब्ती की दिनांक 03.05.2015 को वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर ने भी अपने एसबी क्रिमीनल रिवीजन पेटीशन सं0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम सरकार में राजसात किये गये वाहन के बाजार मूल्य 2,65,000—रूपये पर 2,00,000—रूपये लगाये गये जुर्माना को सही ठहराया है। अतः वाहन के बाजार मूल्य अनुसार जुर्माना लगाया जावे जो अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लोटाया जा सकता है।**

12— **मैने दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया** एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो और प्रस्तुत जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस मामले में अप्रार्थी **रमेशकुमार वाहन चालक के अकेले द्वारा** वाहन टाटा ऐस न0 आरजे 13 जीबी 1750 में 1500 लीटर डीजल बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के अवैद्य कारोबार के लिए परिवहन कर लाते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया और दिनांक 03.05.2015 को रसद विभाग को पुलिस से सूचना मिलने पर प्रवर्तन अधिकारी मय स्टाफ के पुलिस चौकी गणेशगढ पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो वाहन चालक रमेशकुमार अकेला मौके पर उपस्थित मिला और उसने बताया कि उक्त वाहन उसके भाई राजेन्द्रकुमार के नाम से है। वाहन की जांच करने पर वाहन में 5 प्लास्टिक ड्रम, दो लोहे के ड्रम, 2 केनियों में कुल 1500 ली डीजल पाया गया। जिसके कोई वैद्य कागजात प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाईसेंस/परमिट आदि प्रस्तुत

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

42/2016
AD/C

नही किये और न ही बिल प्रस्तुत किये। राज0 पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के क्लाज 15 के तहत राज्य सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 के अनुसार 1000 लीटर से अधिक 1500 लीटर डीजल अकेले रमेशकुमार वाहन चालक द्वारा परिवहन करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश राज0 पेट्रोलियम (लाईसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के क्लाज 15 की अवहेलना की है। इसलिए जब्त शुदा उक्त वाहन व 1500 लीटर डीजल मय ड्रम एवं केनियों कां धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

13— **राज्य सरकार** द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 निम्न प्रकार से है:—

जयपुर, अप्रेल 11, 2005

राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ.17(24)खा.वि./विधि/90 दिनांक 16—10—2004 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार,, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (लाईसेन्सड डीलर) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर नियत करती है। इस मात्रा में वाहन के सर्विस टेंक में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित होगी।

14— **आवश्यक वस्तु** अधिनियम की धारा 14 के अनुसार **इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर था** कि उनके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी आदेश, अध्यादेश, नियम, अनुज्ञप्ति, अधिसूचना आदि की अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

15— **उक्त सन्दर्भ** में मैंने प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस मामले फर्द मौका एवं फर्द जब्ती दिनांक 03.05.2015 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि वाहन चालक रमेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश के अकेले के कब्जे से वाहन आरजे 13जीबी 1750 टाटा ऐसी में 1500 लीटर डीजल राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार **अनुज्ञाप्तिधारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000 लीटर** से अधिक होने के कारण मय वाहन के **जब्त किया गया है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
42/2016

16. **इस तथ्य का** भार अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत बने राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 की अवहेलना नही की है। अप्रार्थीगण रमेशकुमार, राजेन्द्रकुमार द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से जबाब दिनांक 23.06.2015 पेश किया गया है **इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये है उनके द्वारा जबाब में केवल यह कहा गया है कि वाहन में रामेशकुमार व राजेन्द्रकुमार एक साथ वाहन में बैठकर 1500 लीटर डीजल एक साथ खरीद कर लाये थे इसलिए उनके विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। जहां तक अप्रार्थीगण के उक्त तर्क का संबंध है,** राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 के अनुसार वाहन में 1000लीटर से अधिक डीजल परिवहन में नही किया जा सकता है इसमें वाहन की टंकी में उपलब्ध डीजल भी सम्मिलित है। व्यक्तियों के आधार पर डीजल का विभाजन करने का कोई भी प्रावधान नही है। उक्त वाहन में 1500 लीटर डीजल वाहन चालक रमेशकुमार द्वारा फर्द जब्ती के अनुसार परिवहन कर लाना पाया जाता है। इस जब्ती पर परिणाम स्वरूप अन्यों के साथ साथ रमेशकुमार के स्वयं के भी हस्ताक्षर मोजूद है। फर्द जब्ती में वाहन चालक रमेशकुमार ने उक्त जब्तशुदा वाहन अपने भाई राजेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश का बताया है। डीजल क्रय करने के संबंध में भी कोई बिल पेश नही किये है और न ही उक्त वाहन में डीजल परिवहन कर अपने कब्जे में रखने संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञापत्र/कागजात रमेशकुमार द्वारा पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के जबाब के अनुसार भी उक्त वाहन में 1500 लीटर डीजल परिवहन किया गया है और **फर्द जब्ती के अनुसार अकेले रमेशकुमार वाहन चालक के कब्जे से उक्त वाहन आरजे 13जीबी 1750 से जब्त किया गया है जो कि राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 के क्लॉज 15 की अवहेलना है।**

अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर,एल.आर. (एस सी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार बनाम अरविन्द कुमार के पैरा 13 में तय किये गये सिद्धान्त के अनुसार कोई भी न्यायालय/प्राधिकारी किसी भी प्रभावी कानून के प्रावधानो के विपरीत आदेश/निर्देश पारित नही कर सकते। इसलिए उक्त जब्त शुद्धा उक्त 1500लीटर जो फर्द जब्ती के अनुसार अकेले रमेशकुमार से जब्त किया गया गया है जो राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 22 के तहत सक्षम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है।** इसलिए अप्रार्थी रमेशकुमार वाहन चालक से जब्त शुदा उक्त वाहन संख्या आरजे 13जीबी 1750 मय 1500 लीटर डीजल एवं ड्रम व केनियां राजसात करने योग्य ठहरती है।

17— अप्रार्थीगण के अभिभाषक का यह तर्क कि केन्द सरकार द्वारा **MOTOR SPIRIT & HIGH SPEED DIESEL (REGULATIOPN OF SUPPLY, DISTRIBUTION & PREVENTION OF MALPRACTICES) ORDER, 2005** एवं **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** के जारी आदेश, राज्य सरकार के नियन्त्रण आदेश **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** पर प्रभावी है और केन्द्र सरकार के **PETROLEUM PRODUCTS (MAINTENANCE OF PRODUCTION, STORAGE & SUPPLY) ORDER, 1999** के तहत खुदरा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

42/2016
A3/8

बेचान की सीमा 2500 लीटर तक है जबकि अप्रार्थी के पास प्रा0 पत्र के अनुसार 1500 लीटर डीजल जब्त किया गया है इस प्रकार उसके पास निर्धारित सीमा 2500 लीटर से कम डीजल है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस. बी.क्रिमी. रिवीजन पेटी. न0 623/2015 शीर्षक हेमराज बनाम राज राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 02.02.2016) एवं 2016(1) कि. लॉ. रि. (राजस्थान) पृष्ट 506 करमजीतसिंह बनाम राज0 राज्य जो कि 2015(2) आरएलडबल्यू 1801 (राज.) जंगीरसिंह एवं अन्य बनाम राज0 राज्य पर आधारित है के अनुसार राजसात की कार्यवाही नही की जा सकती।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012 ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) व माननीय उच्चतम न्यायालय का 2012 क्रि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए कथन था कि पूर्व में दिनांक 06.12.2012 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की कार्यवाही को सही माना है और वाहन राजसात की एवज में लगाये गये जुर्माना राशि 2,00,000रूपये को सही माना गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 क्रि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के अनुसार कोई भी न्यायालय या अथोरिटी या सरकार किसी भी प्रभावी कानून से बाहर जाकर कोई आदेश/निर्देश अधिनस्थ को जारी नही कर सकते। चूंकि 1990 का उक्त आदेश केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रद नही किया गया है और आज भी प्रभावी है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही सही है।

विभागीय प्रतिनिधि ने सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के दांडिक अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय 21.06.2016 की प्रति पेश करके भी प्रार्थना की कि माननीय सैशन न्यायाधीश ने भी 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 क्रि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के अनुसार राजसात की कार्यवाही को सही माना है। इसलिए भी अप्रार्थीगण द्वारा 1990 के आदेश की अवहेलना के कारण उक्त जब्त शुदा डीजल एवं वाहन राजसात करने योग्य है।

18— **उक्त बिन्दु** पर दोनो पक्षो द्वारा दिये गये तर्को का मनन किया और पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तो का एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर के अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य निर्णय दिनांक 21.06.2016 का भी **ससम्मान** अवलोकन किया तो पाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के एक निर्णय **एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) के अनुसार इस न्यायालय द्वारा **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** के तहत की गई वाहन राजसात की कार्यवाही को सही माना है और संबंधित अप्रार्थी पर वाहन राजसात की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि 2,00,000रूपये को सही माना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

42/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990 का आदेश** भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से राज0 सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार न तो निरस्त किया गया है और न ही वापिस लिया गया है। अभी तक उक्त 1990 का आदेश प्रभावशील है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के पैरा 13 में निम्न अपने पूर्व निर्णय सम्मानीय न्याय दृष्टान्त ए.आई.आर. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से आदेश दिये गये है:—

> **Court has held that generally, no court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The court are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law.**

चूंकि **RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990** का आदेश अभी तक प्रभावशील है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निरस्त नही किया गया है। इसलिए **मेरे विनम्र निवेदन** में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय **एस.बी. क्रिमी. रिवीजन पेटी. न. 283/2012** ओमप्रकाश बनाम राज0 राज्य व अन्य (आदेश दिनांक 06.12.2012) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726** बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य के एवं **एवं सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल** के प्रकाश में अप्रार्थीगण केन्द्र सरकार के उक्त 1999 के आदेश के तहत 2500लीटर डीजल क्रय कर वाहन में परिवहन करने की छूट का हकदार नही ठहरता है **और न ही** उक्त 1990 के आदेश के तहत कानून के विपरीत वाहन में परिवहन डीजल का व्यक्तियों के आधार पर डीजल का बंटवारा कर कोई लाभ प्राप्त कर सकते है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय अनुसार **माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर ने भी धारा 6—ग आवश्यक वस्तु अधिनियम की दांडिक अपील सं0 14/2016 अरविन्द स्वामी आदि बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय 21.06.2016 में उक्त RAJASTHAN PETROLEUM PRODUCTS (LICENSING & CONTROL) ORDER, 1990 के आदेश के तहत की गयी कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि. लॉ रि. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 726 बिहार राज्य व अन्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य एवं सम्मानीय न्याय दृष्टान्त ए.आई.आर. (उच्चतम न्यायालय) पृष्ट 1099 शीर्षक मनीष गोल बनाम रोहिनी गोल के अनुसार सही माना है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P T O

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
42/2016

19— अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी रमेशकुमार वाहन चालक से जब्त शुदा 1500 लीटर डीजल मय 5 प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम एवं 2 प्लास्टिक केनियां व वाहन टाटा एस संख्या आरजे 13जबी 1750 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6—2—2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में जब्ती की दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के 6ए के एक अन्य प्रकरण एस.बी. क्रिमीनल रिवीजन पेटीशन सं0 283/2012 ओमप्रकाश बनाम स्टेट व जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2012 में वाहन की जब्ती दिनांक को वाहन का बाजार मूल्य 2,65,000रूपये होने पर 2,00,000रूपये (दो लाख रूपये) लगाई गई शास्ति को विधिसम्मत ठहराया गया है।

20— **चूंकि पत्रावली** में उपल्बध प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन दि0 29.09.2015 के अनुसार उक्त वाहन की जब्ती दिनांक 03.05.2015 को अनुमानित मूल्य **2,90,000रूपये** (अखरे दो लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) बताया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार राजसात किये गए उक्त वाहन की एवज में **2,50,000रूपये** (अखरे दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि डीजल की राशि के अतिरिक्त होगी। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अगर उक्त वाहन का वाहन स्वामी यदि अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत कर देता है तो वाहन की एवज में लगाई गई उक्त जुर्माना राशि 2,50,000रूपये (अखरे दो लाख पचास हजार रूपये) जमा करवा दे तो ही उसके स्वामित्व की पूर्ण जांच व पहचान कर उसे उक्त वाहन नियमानुसार लौटाया जावे अन्यथा उक्त वाहन नियमानुसार विक्रय कर प्राप्त वाहन राशि को स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। डीजल की राशि को भी स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। राजसात किय गये 5 प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम एवं 2 प्लास्टिक केनियां का भी नियमानुसार राज्य पक्ष में निस्तारण करवाया जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व प्रभारी पुलिस चौकी गणेशगढ को जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना लालगढ जाटान के पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

21— **यह** आदेश आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर